

उत्तर प्रदेश शासन
चिकित्सा अनुभाग-8

संख्या-72/1439/पांच-8-2015-म(345)/2012टी0सी0-11

लखनऊ: दिनांक 06 मई, 2015

कार्यालय-ज्ञाप

शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2478/पांच-8-2014-म(345)/2012, दिनांक 18-09-2014, कार्यालय ज्ञाप संख्या-2883/पांच-8-2014-म(345)/2014, दिनांक 07-10-2014 एवं कार्यालय ज्ञाप संख्या-8/3923/पांच-8-2014-म(345)/2012, दिनांक 16-01-2015 द्वारा लोक सेवा आयोग, इलाहाबाद की चयन संसूचि के क्रम में प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के अन्तर्गत वेतनमान रू0 15,600-39,100/- ग्रेड पे रू0 5400/- में एलोपैथिक चिकित्साधिकारी के पद पर नियुक्ति/तैनाती के आदेश निर्गत किये गये हैं। कतिपय चिकित्साधिकारियों द्वारा अपनी नियुक्ति/तैनाती स्थल परिवर्तित किये जाने का अनुरोध किया गया है। सम्यक विचारोपरान्त निम्नलिखित चिकित्साधिकारियों के पूर्व नियुक्ति/तैनाती जनपद/स्थल को संशोधित करते हुए स्तम्भ-7 के अनुसार कार्यालय ज्ञाप दिनांक 18-09-2014, 07-10-2014 एवं 16-01-2015 के क्रम में एतद्वारा तैनात किया जाता है :-

क्र. सं.	सूची क्रमांक	चयन क्रमांक	चिकित्सा अधिकारी का नाम/पिता/पति का नाम	गृह जनपद	पूर्व तैनाती	संशोधित तैनाती
1	2	3	4	5	6	7
1.	939	1585	डा0 योगेश कुमार सिंह/पुत्र श्री शशिपाल सिंह	हाथरस	एटा	आगरा
2.	371	1654	डा0 संदीप कुमार यादव/पुत्र श्री सुखवीर सिंह यादव	अलीगढ़	एटा	बुलन्दशहर
3.	59	1851	डा0 गुड्डू कुमार/पुत्र श्री राजेन्द्र प्रसाद	महराजगंज	जि0चि0, सिद्धार्थनगर	जि0चि0, कुशीनगर
4.	35	950	डा0 दीपिका राठौर/पुत्री श्री जीवन सिंह राठौर	ग्रेटर नोएडा	शामली	सहारनपुर

- 2- उपर्युक्त चिकित्साधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि तैनाती स्थल पर दिनांक 06-06-2015 तक कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें।
- 3- कार्यालय जाप दिनांक 18-09-2014, 07-10-2014 एवं 16-01-2015 की शेष शर्तें यथावत रहेगी।


पी०एन० सिंह
विशेष सचिव।

संख्या-72/1439(1)/पांच-8-2015-तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- 2- सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- 3- महानिदेशक/निदेशक(प्रशासन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, 30प्र०, लखनऊ।
- 4- संबंधित मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण।
- 5- निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, 30प्र०, इलाहाबाद।
- 6- संयुक्त निदेशक(कार्मिक/गोपन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, 30प्र०, लखनऊ।
- 7- सम्बन्धित मुख्य चिकित्साधिकारी/ मुख्य चिकित्सा अधीक्षक को इस निर्देश के साथ कि वे नवनियुक्त चिकित्साधिकारी को निर्धारित तिथि के अन्दर योगदान कराना सुनिश्चित करें।
- 8- सम्बन्धित चिकित्साधिकारी।
- 9- सम्बन्धित कोषाधिकारी।
- 10- गार्ड फाइल/कम्प्यूटर सेल।

आज्ञा से,


(विनोद कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन
चिकित्सा अनुभाग-8

संख्या-73/1589/पांच-8-2015-म(30)/2014टी0सी0

लखनऊ: दिनांक 06 मई, 2015

कार्यालय-ज्ञाप

शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-11/160/पांच-8-2015-म(30)/2014, दिनांक 16-01-2015 द्वारा लोक सेवा आयोग, इलाहाबाद की चयन संस्तुति के क्रम में प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के अन्तर्गत वेतनमान रू0 15,600-39,100/- ग्रेड पे रू0 5400/- में एलोपैथिक चिकित्साधिकारी के पद पर नियुक्ति/तैनाती के आदेश निर्गत किये गये हैं। कतिपय चिकित्साधिकारियों द्वारा अपनी नियुक्ति/तैनाती स्थल परिवर्तित किये जाने का अनुरोध किया गया है। सम्यक विचारोपरान्त निम्नलिखित चिकित्साधिकारियों के पूर्व नियुक्ति/तैनाती जनपद/स्थल को संशोधित करते हुए स्तम्भ-7 के अनुसार कार्यालय ज्ञाप दिनांक 16-01-2015 के क्रम में एतद्वारा तैनात किया जाता है -:

क्र. सं.	सूची क्रमांक	चयन क्रमांक	चिकित्सा अधिकारी का नाम/पिता/पति का नाम	गृह जनपद	पूर्व तैनाती	संशोधित तैनाती
1	2	3	4	5	6	7
1.	02	03	डा0 मुकेश भारती/पुत्र श्री भाषवत स्वरूप	अलीगढ़	जि0चि0, एटा	जि0सं0चि0, वृंदावन, मथुरा
2.	123	167	डा0 अरविन्द कुमार गौतम/पुत्र श्री लोकी राम	अलीगढ़	कासगंज	बागपत

उपर्युक्त चिकित्साधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि तैनाती स्थल पर दिनांक 06-06-2015 तक कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें।

3- कार्यालय ज्ञाप दिनांक 16-01-2015 की शेष शर्तें यथावत रहेगी।

पी0एन0 सिंह
विशेष सचिव।

संख्या-73/1589(1)/पांच-8-2015-तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- 2- सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- 3- महानिदेशक/निदेशक(प्रशासन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, 30प्र0 लखनऊ।
- 4- संबंधित मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण।
- 5- निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, 30प्र0, इलाहाबाद।
- 6- संयुक्त निदेशक(कार्मिक/गोपन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, 30प्र0, लखनऊ।
- 7- सम्बन्धित मुख्य चिकित्साधिकारी/ मुख्य चिकित्सा अधीक्षक को इस निर्देश के साथ कि वे नवनियुक्त चिकित्साधिकारी को निर्धारित तिथि के अन्दर योगदान कराना सुनिश्चित करें।
- 8- सम्बन्धित चिकित्साधिकारी।
- 9- सम्बन्धित कोषाधिकारी।
- ✓ 10- गार्ड फाइल/कम्प्यूटर सेवा।

आज्ञा से,



(विनोद कुमार सिंह)

संयुक्त सचिव।

<http://shiksha.nic.in>